राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

मुकदमा संख्या :– 378/2023 फ०फ०

01. नैनाराम पुत्र लादूराम तेली नि० सियाफलियास भाजेड़ा–तह० करेड़ा–भी०

प्रार्थी......

बनाम

01. मेघराम पुत्र छोगा गुर्जर नि० सियाफलियास भाजेड़ा–तह० करेड़ा–भी०

विपक्षीगण......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत **आवेदन** किया कि ग्राम सियाफलियास भाजेड़ा पटवार हल्का गुवारड़ी तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त **की खाता** संख्या.........103.............. आराजी नम्बर 3528/3096.........

....

.... कुलकिता.....1...... रकबा 0.5059...............हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त **विपक्षी**गण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न **रहता है**। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/7/23 .... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को **सुनार्थ** से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने **अधिकारी** है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का **नही** है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक **न्यायिक** सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम............ सियाफलियास भाजेड़ा पटवार हल्का.....गुवारड़ी.............. तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 103.........

....

आराजी नम्बर 3528/3096,.........

....

.... कुलकिता.....1......... रकबा 0.5059........... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक गोवल्या.............. को 450/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। ...र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये ...ल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

...:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshidhar Yogi
Date: 2024.06.21 15:57:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

...लिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि ... कराने पर नियमानुसार ...रगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा